छात्रसंघ चुनाव 2022–23

सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर

क्रमांक : मुचुअ/छात्रसंघ/सकाका/2022/[illegible] दिनांक 1[illegible]

छात्रसंघ संविधान

1. इस महाविद्यालय में एक छात्रसंघ होगा, जिसका नाम सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर छात्रसंघ होगा।
2. छात्रसंघ उद्देश्य :–
   - i छात्रों के बौद्धिक स्तर का विकास।
   - ii विनम्र एवं श्रद्धावनत व्यक्तित्व का विकास।
   - iii छात्रों में प्रजातंत्र की भावना जाग्रत करना एवं छात्रों को लोकतान्त्रिक व्यवस्था का पाठ पढ़ाना।
   - iv सही चयन एवं सरचनात्मक प्रतिस्पर्द्धा का बोध कराना।
   - v नेतृत्व, विविधता में एकता, सह–अस्तित्व की क्षमता का विकास।
   - vi छात्रों में सुसंस्कारों, उच्च आदर्शों, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना।
   - vii खेल (शारीरिक विकास), साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता एवं आयोजन क्षमता का विकास
   - viii छात्रों में जागरूकता व अनुशासन एवं संस्था की सुरक्षा, संरक्षा एवं संवर्द्धन करने का दायित्वबोध विकसित करना।
3. महाविद्यालय के प्राचार्य छात्रसंघ के पदेन संरक्षक होंगे।
4. संरक्षक मुख्य परामर्शदाता एवं दो अन्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति संकायानुसार प्राध्यापक वर्ग में से करेंगे।
5. महाविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र जिसका नाम महाविद्यालय की प्रवेश सूचियों में अंकित है, निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा।
6. छात्रसंघ चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदाता एवं प्रत्याशी को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

7. छात्रसंघ का गठन :–

अ. छात्रसंघ पदाधिकारी :–

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- महासचिव
- संयुक्त सचिव

ब. कक्षा प्रतिनिधि :– कक्षा प्रतिनिधि 40 विद्यार्थियों पर एक के अनुसार बनाये जायेंगे व न्यूनतम 30 विद्यार्थी अतिरिक्त होने पर ही दूसरा अथवा तीसरा प्रतिनिधि बनाया जायेगा। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में 30 से कम विद्यार्थी होने पर न्यूनतम एक कक्षा प्रतिनिधि चयनित करना होगा।

नोट :– सभी चारों छात्रसंघ पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन महाविद्यालय के सूचीवद्ध नियमित विद्यार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

स. छात्रसंघ कार्यकारिणी :–

i. छात्रसंघ पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव)

ii. छात्रसंघ कार्यकारिणी – छात्रसंघ अध्यक्ष की कार्यकारिणी में अधिकतम सदस्यों की संख्या उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगी।

8. छात्रसंघ उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड :–

(i) अध्यक्ष एवं महासचिव पद के लिए उम्मीद्वार महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी होना चाहिए तथा उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पद हेतु महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी केवल कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव लडेंगे, अन्य पदों के लिए नहीं।

(ii) स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय के सम्बद्धक महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तभी वे छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं महासचिव पदों पर चुनाव लड़ने योग्य माने जाएंगे।

(iii) सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए स्नातक कर रहे विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होगी तथा

स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

(iv) शोधार्थियों के लिए वैध रूप में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी।

(v) आयु सीमा की गणना उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि को की जावेगी।

(vi) महाविद्यालय का नियमित एवं सम्पूर्ण विषयों में उत्तीर्ण व पूर्णकालिक विद्यार्थी ही चुनाव लड़ने के योग्य होगा।

(vii) छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते मे किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक बकाया (Academic Arrears) से तात्पर्य है कि उसके कोई ड्यू पेपर अथवा पूरक नहीं होनी चाहिए।

(viii) उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, हासिल किया जाना आवश्यक है।

(ix) उम्मीदवार के पास पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर एक होगा और कार्यकारी सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने हेतु दो अवसर होंगे।

(x) कोई भी विद्यार्थी एक से अधिक पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

(xi) प्रोविजनल प्रवेश वाले विद्यार्थी छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकेंगे।

(xii) उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके विरूद्ध न्यायालय ने आरोप निर्धारित नहीं किये गये हो। यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो।

नोट :– उपर्युक्त तथ्यों को छिपाने पर उम्मीदवार अपात्र माना जावेगा।

9. चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही :–

(i) प्रति उम्मीदवार अधिकतम रू. 5000/– के व्यय की अनुमति है।

(ii) चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपूर्द करेगा। महाविद्यालय ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस

के अन्दर प्रकाशित करायेगा, जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतंत्र परीक्षण कर सके।

(iii) किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा।

(iv) छात्र चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से रूपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से कोई धन राशि लेना विशेष रूप से प्रतिबन्धित है।

10. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :–

1. महाविद्यालय स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिसका चेयरमेन डीन छात्र कल्याण/छात्र कार्यकलापों का इन्चार्ज प्राध्यापक होगा, इसके साथ ही एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व दो अन्तिम वर्ष के विद्यार्थी (एक छात्र एवं एक छात्रा) योग्यता या सहशैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर चैयरमेन द्वारा नामित किये जा सकेंगे। (जब तक चुनाव परिणाम घोषित किये जाते हैं।)

   उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को चुनाव से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा जो कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्चों सम्बन्धी शिकायतों को समाहित करेगा, पर उन तक सीमित नहीं होगा। यह प्रकोष्ठ संस्था की नियमित इकाई होगा।

2. अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में यह शिकायत निवारण प्रकोष्ठ आचार संहिता के किसी पक्ष के उल्लंघनकर्ताओं या शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कर सकेगा। यह शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एक मौलिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करेगा।

   संसदीय अध्यक्ष (प्राचार्य) को चुनावों के संचालन से सम्बन्धित सभी मामलों, विवादों और कानून एवं तथ्य सम्बन्धित मुद्दों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, जिनमें उक्त प्रकोष्ठ ने अपना फैसला सुनाया हो। पुनर्समीक्षा पर संस्था अध्यक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को रद्द अथवा परिवर्तित कर सकता है।

3. इस न्यायालय के कर्तव्यों का निष्पादन करते समय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ऐसी प्रक्रियाओं और सुनवाइयों का संचालन करेगा, जो इन कर्तव्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक होगी। इन कर्तव्यों को पूरा करते समय उसे अधिकार होगा कि :–

- आज्ञा जारी कर समन से उम्मीदवारों, एजेण्टों, कार्यकर्ताओं को एवं विद्यार्थियों को बाध्य रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य देने और आवश्यक रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकेंगे।
- किसी उम्मीदवार की वित्तीय रिपोर्टों का निरीक्षण करना और प्रार्थना पर ऐसे दस्तावेज को जन–विवेचना हेतु उपलब्ध कराना।

4. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्य शिकायत दर्ज कराने से प्रतिबन्धित किये गये हैं। कोई भी अन्य विद्यार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन हफ्ते के भीतर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी सारी शिकायतें शिकायतकर्ता विद्यार्थी के नाम से ही दर्ज की जायेंगी। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ऐसी सभी शिकायतों के प्राप्त होने के 24 घन्टे में कार्यवाही करेगा या तो उन्हें रद्द करेगा या सुनवाई करेगा।

5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ शिकायत को रद्द कर सकता है यदि :–

- ऐसी शिकायत उपर्युक्त सिफारिश में प्रस्तावित समय सीमा के अन्दर दर्ज नहीं की गयी हो।
- यदि शिकायत ऐसा कोई कारण नहीं बता पाती जिसके लिए राहत दी जा सके।

शिकायतकर्ता को स्वयं कोई क्षति नहीं हुई है या क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

6. यदि कोई शिकायत रद्द नहीं हुई है तो सुनवाई अवश्य होनी चाहिए। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ या तो लिखित में या ई–मेल से शिकायतकर्ता पक्ष एवं सभी व्यक्तियों या समूहों जिनका नाम शिकायत में लिया गया है, को सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा। सम्बन्धित पक्ष तब तक अधिसूचित नहीं माने जायेंगे जब तक उन्होंने शिकायत की एक प्रति प्राप्त नहीं कर ली हो।

7. सुनवाई शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी पर यह उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के 24 घन्टे के भीतर नहीं होगी, जब तक सभी पक्ष 24 घन्टे की समय सीमा को शिथिल करने हेतु सहमत ना हो।

8. जब सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाता है तब शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बहुमत द्वारा एक अस्थायी नियन्त्रण आदेश जारी कर सकता है। यदि उसे लगता है कि ऐसा करना किसी व्यक्ति या इकाई पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने हेतु आवश्यक है। कोई भी ऐसा नियन्त्रण आदेश एक बार जारी किये जाने के बाद तब तक प्रभावी रहेगा जब तक या तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का निर्णय नहीं सुनाया जाता या परिवेदना प्रकोष्ठ द्वारा रोका न गया हो।

9. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सभी सुनवाइयां, कार्यवाहियां और बैठकें जन सामान्य हेतु खुली होनी चाहिए।

10. सुनवाई के दौरान सभी पार्टियां (पक्ष) उपस्थित होंगी और वे अपने साथ कोई अन्य विद्यार्थी रख सकती हैं, जिससे कि वे राय ले सकें या जो वकील के रूप में उनका प्रतिनिधित्व कर सके।

11. किसी भी सुनवाई हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्यों का बहुमत उपस्थित होना चाहिए और साथ ही यह आवश्यक है कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो।

12. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता की ज़िम्मेदारी ऐसे सदस्य की होगी जो कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो।

13. सुनवाई का प्रारूप शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित किया जायेगा, पर यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों ही पक्ष शारीरिक रूप से बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो, जिससे मुद्दों पर चर्चा एवं परिवाद, जवाब, खण्डन एवं प्रत्युत्तर, प्रारूप सुनवाई का उद्देश्य चुनावी झगड़े को सुलझाने में लिए जाने वाले निर्णय या आदेश या नियम को लेने हेतु आवश्यक सूचना एकत्रित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सुनवाइयों पर निम्न नियमों की पालना होनी चाहिए –

   - शिकायतकर्ता पक्ष को दो से अधिक साक्षियों को रखने की अनुमति नहीं होगी तथापि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार साक्षियों को बुला सकेगा, यदि उक्त साक्षी सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हो तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ अध्यक्ष को हस्ताक्षरित शपथ प्रोक्सी साक्षियों हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

- विवादग्रस्त पक्षों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्न और चर्चाओं का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को घोषित किया जायेगा।
- सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष या गवाह का प्रत्यक्ष या प्रति परीक्षा शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी पार्टियो द्वारा नहीं की जायेगी।
- शिकायतकर्ता द्वारा उचित समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी, वशर्ते वे दोनों से निष्पक्ष और समान व्यवहार करते हों।
- दोष सिद्ध का उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता पक्ष का होगा।
- शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ के निर्णय, आदेश और नियम उपस्थित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के बहुमत से पारित हो और सुनवाई के वाद जितना शीघ्र हो सके घोषित किये जाये। शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा नियम के बारे में लिखित राय निर्णय सुनाये जाने के 12 घन्टे के अन्दर जारी की जानी होगी। इस लिखित राय में शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यपरक निष्कर्ष और विधिसम्मत निर्णय, जो ऐसी Findings का समर्थन करते हो, का उल्लेख होना चाहिए।

  ऐसी लिखित राय तीन चुनाव प्रक्रिया की अवधि तक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को उसके कार्यकलापों में सहयोग करेगी। पूर्व लिखित ऐसी रायों को देखने के पश्चात् शिकायत निवारण प्रकोष्ठ निर्णय पलट सकता है, पर उसे ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध कर उपलब्ध कराना होगा।
- यदि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय के विरूद्ध संस्था अध्यक्ष को अपील की जाती है तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तुरन्त ही अपना निर्णय संस्था अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ऐसे समाधान या प्रतिबन्ध को चुनेगा जो कि उल्लंघन के प्रकार और गम्भीरता के सबसे अधिक अनुरूप हो और उल्लंधनकर्ता के आशय या मानसिक अवस्था को दर्शाता हो। सम्भावित समाधान या प्रतिबन्ध समाहित करते हैं, जुर्मानों, प्रचार अभियान के विशेषाधिकार के निलम्बन और चुनाव से अयोग्य करने पर केवल इन तक ही सीमित नहीं है।
- कोई भी जुर्माना या जुर्माने की कुल राशि जो कि एक उम्मीदवार के विरूद्ध किया गया हो, वह निर्धारित खर्चे की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

- यदि किसी सुनवाई के पश्चात् शिकायत निवारण प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा किया गया है तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ऐसे उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं को कुछ या शेष प्रचार समय में भाग लेने से प्रतिबन्धित कर सकता है। यदि ऐसा आदेश बचे हुए समय के कुछ हिस्से के लिए है तो यह तुरन्त प्रभावी हो जायेगा, जिससे कि उम्मीदवार के पास चुनाव के दिनों से एकदम पहले व साथ–साथ में चुनाव प्रचार वापिस शुरू करने का अवसर मिल सके।
- यदि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधान या उसके निर्णय, राय, आदेश अथवा नियमों का किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर और खुला उल्लंघन किया गया तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ उसको अयोग्य घोषित कर सकता है।
- यदि कोई पक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के किसी फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तो वह संस्था अध्यक्ष के समक्ष प्रतिकूल निर्णय सुनाये जाने के 24 घन्टे के अन्दर एक अपील दायर कर सकता है। संस्थागत अध्यक्ष के पास शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के ऊपर उन सभी प्रकरणों में विवेकाधिकार पूर्ण अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, जिनमें शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ पर गलती आरोपित की गयी है।
- जब तक संस्था अध्यक्ष द्वारा अपील सुनी जाकर निर्णय सुनाया जाता है, तब तक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का निर्णय वैध एवं पूर्ण प्रभावी होगा।
- संस्था अध्यक्ष द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ नियमों से सम्बन्धित अपील शीघ्रातिशीघ्र सुनी जायेगी, पर यह शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा अपीलार्थी और संस्था अध्यक्ष को अपने लिखित राय की प्रति दिये जाने के बाद के 24 घन्टों के अन्दर नहीं होगा। अपील इस समय से पहले सुनी जा सकेगी, पर केवल तब जब अपीलार्थी लिखित राय के अधिकार में शिथिलीकरण चाहे और संस्था अध्यक्ष ऐसे शिथिलीकरण को सहमत करें।

- संस्था अध्यक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा जारी नियम का क्रियान्वयन रोकने या लम्बित करने हेतु समुचित आदेश निकाल सकता है, जब तक कि अपील का निर्णय नहीं हो जाये।
- संस्था अध्यक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निष्कर्ष की समीक्षा अपील होने पर करेगा और यह शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय को सहमति या उलट सकता है या प्रतिबन्धों में संशोधन कर सकता है।

11. चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसर में कानून व्यवस्था बनाये रखना :-

कानून की घोर अवहेलना की कोई घटना या कोई आपराधिक कृत्य घटित होने पर उसकी सूचना महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को यथाशीघ्र दी जायेगी, जो अपराध घटने के 12 घन्टे के अन्दर होनी अनिवार्य है।

12. यदि चुनाव सम्पन्न होने के 2 महीने के अन्दर किसी बड़े पदाधिकारी का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव कराये जाने चाहिए या उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया जाकर इसी प्रकार संयुक्त सचिव को सचिव के पद पर पदोन्नति प्रकरणानुसार दी जा सकती है।

13. प्रत्येक वर्ष छात्रसंघ चुनाव वार्षिक आधार पर आयोजित किये जायेंगे, जो शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 6 से 8 सप्ताह के मध्य आयोजित होंगे।

14. महाविद्यालय प्रशासन एवं छात्रसंघ सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव माह तिथि से एक माह की अवधि में अध्यक्ष द्वारा महाविद्यालय प्रशासन की सहमति से छात्रसंघ का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाये तथा एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जाये।

15. छात्रसंघ कार्य प्रणाली :-

(i) छात्रसंघ कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता छात्रसंघ का अध्यक्ष करेगा।

(ii) छात्रसंघ कार्यकारिणी में कक्षा प्रतिनिधियों में से निर्वाचित पांच सदस्यों में अध्यक्ष अधोलिखित विभागों का बंटवारा कर सकता है। (जैसे – क्रीडा सचिव, सांस्कृतिक सचिव, शैक्षणिक सचिव, छात्र कल्याण सचिव व पुस्तकालय सचिव)

(iii) छात्रसंघ कार्यकारिणी की बैठक में न्यूनतम संख्या (कोरम) छात्रसंघ कार्यकारिणी के बहुमत से मानी जायेगी।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

(iv) छात्रसंघ की अन्य पदाधिकारियों तथा कक्षा प्रतिनिधि के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने से प्रारम्भ होकर शैक्षणिक सत्रान्त दिवस तक होगी।

(v) संरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना छात्रसंघ द्वारा आयोजित किसी आयोजन अथवा छात्रसंघ एवं इसकी किसी घटक की बैठक में वाह्य व्यक्ति को आमंत्रित नही किया जा सकेगा।

(vi) छात्रसंघ कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों के साधारण बहुमत के आग्रह पर संरक्षक की अनुमति से बुलाई जा सकेगी।

16. छात्रसंघ बजट :– छात्रसंघ कार्यकारिणी मुख्य परामर्शदाता/परामर्शदाताओं के निर्देशन मे बजट तैयार करेगी जो अंतिम रूप से कक्षा प्रतिनिधियों की सभा द्वारा पारित किया जावेगा। इस पर संरक्षक की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसका अन्तिम अनुमोदन प्राचार्य करेंगे। पारित बजट में संशोधन, वितरण (अलोकेशन) के परिवर्तित करने का प्राचार्य को अधिकार होगा।

17. सामान्य नियम :– संरक्षक को अधोलिखित अधिकार होंगे :–

(i) छात्रसंघ की किसी भी बैठक में उपस्थित होना।

(ii) छात्रसंघ कार्यकारिणी अथवा कक्षा प्रतिनिधि सभा अथवा छात्रसंघ के किसी भी घटक को सम्बोधित करना।

(iii) छात्रसंघ कार्यकारिणी के बजट को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देना।

(iv) छात्रसंघ द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को बदलना या संशोधन करना या रद्द करना।

(v) छात्रसंघ द्वारा अवांछित/अनुचित व्यय को अस्वीकृत करना।

(vi) छात्रसंघ का निर्वाचन कराने एवं कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु क्रमशः मुख्य चुनाव अधिकारी/मुख्य परामर्शदाता या अन्य पद पर किसी भी प्राध्यापक की नियुक्ति करना।

(vii) छात्रसंघ को स्थगित या भंग करना।

*उपर्युक्त संविधान लिंगदोह समिति की सिफारिशों से किसी भी प्रकार से विमत नहीं होगा।

प्राचार्य

मुख्य निर्वाचन अधिकारी